Implied Conditions & Warranties (Secs 14-17)

माल-विक्रय की संविदा में अनेको शर्तें एवं वारण्टियां होती हैं। ये शर्तें एवं वारण्टियां अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती हैं Sec. 16(4) S.O.G.A. में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिव्यक्त वाक्य या शर्त इस अधिनियम द्वारा विवक्षित शर्तया वारण्टी को नकार नहीं सकती जब तक वह उससे असंगत नहीं। Sec. 62 के अनुसार जहाँ कि विधि की विवक्षा से कोई अधिकार, कर्तव्य, या दायित्व विक्रय की संविदा के अधीन उत्पन्न होता हो वहां अभिव्यक्त करार द्वारा या पक्षकारों के बीच व्यवहार चर्चा द्वारा, या प्रथा द्वारा (यदि वे तो पक्षकारों पर बाध्यकर हो) उसको नकारा जा सकेगा या उसमें फेरफार किया जा सकेगा।

माल-विक्रय अधिनियम की धारा-14 से 17 में विवक्षित शर्तों एवं वारण्टियों के बारे में प्रावधान किया गया है। जिनकी व्याख्या निम्न लिखित प्रकार से की जा सकती है।

[A] विवक्षित शर्तें (Implied Conditions)

1. विक्रय के अधिकार की शर्त (Condition as to Title) S. 14(a) -

माल विक्रय अधिनियम की धारा 14(a) के अनुसार - जब तक परिस्थितियों से भिन्न आशय दर्शित नहीं विक्रय की संविदा में यह विवक्षित शर्त होती है कि विक्रय की दशा में माल का स्वामित्व विक्रेता के पास होता है और उसे माल के विक्रय का अधिकार होता है। और विक्रय के करार की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है कि उसे माल के विक्रय का अधिकार क्रेता को माल के स्वामित्व के अन्तरित होने तक रहेगा। यदि ऐसा नहीं है तो क्रेता माल अस्वीकार

करके कीमत (यदि भुगतान कर दिया गया है) वसूल कर सकता है।

अर्थात विक्रय की संविदा में विक्रेता का यह कर्तव्य है कि यदि वह माल बेचना चाहता है तो उसे बेचने का अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। इसीलिए विधि प्रत्येक संविदा में यह विवक्षित शर्त जोड़ देती है कि विक्रेता को माल बेचने का अधिकार प्राप्त है।

उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने पुरानी कारों के विक्रेता से एक कार खरीदी। कुछ महीनों बाद पुलिस कार को ले गयी, क्योंकि कार चोरी की थी। क्रेता ने अपने पूरे दाम विक्रेता से वसूल किये चाहे उसने कुछ महीनों के लिए कार का प्रयोग किया था।

2. वर्णानुसार विक्रय में माल के वर्णन (Description) के अनुरूप होने की शर्त (S. 15) — Sec. 15 के अनुसार यदि संविदा वर्णानुसार माल के विक्रय के लिए है तो ऐसी स्थिति में यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल वर्णन के अनुरूप होगा। और यदि विक्रय नमूने (Sample) और वर्णन (Description) दोनों द्वारा है तो माल के प्रपुंज (Bulk) का नमूने के अनुरूप होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे नमूने और वर्णन दोनों के अनुरूप होना चाहिए।

यदि क्रेता ने माल कभी नहीं देखा है और केवल विक्रेता द्वारा दिये गये वर्णन के आधार पर क्रय किया है तो माल वर्णन के अनुरूप न होने पर शर्त का भंग होगा और वह माल वापस करके भुगतान की गई कीमत वसूल कर सकता है।

Ward v. Wheep, 1900 के वाद में कटाई मशीन बेची गई। विक्रेता ने कहा कि यह केवल 1 वर्ष पुरानी है और उससे केवल 50 से 60 एकड़ खेती कटान की गई है लेकिन बाद में

क्रेता ने पाया कि यह बहुत पुरानी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मशीन वर्णन के अनुरूप नहीं थी इसलिए शर्त का उल्लंघन हुआ था और क्रेता माल को अस्वीकार कर सकता था।

यदि मिलावट के कारण माल वर्णन के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो शर्त का उल्लंघन होगा। यदि माल को शत प्रतिशत शुद्ध कर बेचा जाता है परन्तु यह केवल 98% शुद्ध है और इससे अधिक वह शुद्ध होता ही नहीं है और इस कारण बाजार में 98% शुद्धता को 100% शुद्धता मानी जाती है तो ऐसी स्थिति में 98% शुद्ध माल को ही वर्णन के अनुरूप माना जायेगा और शर्त का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

3. गुणवत्ता या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें (Sec. 16.) —

यह सामान्य नियम है कि विक्रय की संविदा में माल की क्वालिटी के बारे में या किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसकी योग्यता के बारे में विवक्षित वारण्टी या शर्त नहीं होती है क्रेता को माल क्रय करते समय सतर्क रहते हुए स्वयं यह जाँच लेना चाहिए जिस प्रयोजन के लिए माल क्रय कर रहा है वह माल उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त है या नहीं इसे क्रेता सावधान (Caveat Emptor) का सिद्धान्त भी कहते हैं। S.O.G.A. की Sec 16 क्रेता सावधान के सिद्धान्त का अपवाद प्रस्तुत करती है कि विक्रय संविदा में कुछ परिस्थितियों में माल की गुणवत्ता या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें भी होती हैं। जो कि अग्र लिखित हैं।